प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2018***

विषय:- जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुख्तयार सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह निवासी जनपद-शामली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35908/प्रोबे0-5-दयायाचिका/971 दिनांक 03.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुख्तयार सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह, जो सुन्दर नगर, चौसाना, थाना-झिंझाना, जनपद-शामली का रहने वाला है। बन्दी द्वारा शादी करने से मना करने की रंजिश को लेकर दिनांक 14.07.2002 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चा, तलवार, पलकटी एवं गडासा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-869/2004 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 307/149, 506(2) एवं 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0'1) कैराना, मुजफ्फरनगर, के आदेश दिनांक 16.08.2012 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 19.01.2017 तक 04 वर्ष 08 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष 11 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मुख्तयार सिंह (बन्दी संख्या-4091/12) पुत्र श्री बिशन सिंह निवासी जनपद-शामली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-84/2018/2633(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शामली ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in